



2026:AHC:35679

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट -सी संख्या - 6435/2026

श्रीमती गुलजारी देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार यादव, भोला नाथ यादव, कमल सिंह, वत्सला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, विपक्षी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यदि विपक्षी आदेश से पीड़ित महसूस करता/करती है, तो उसका/उसके आदेश में संशोधन/परिवर्तन मांगने का अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.) सदर, जिला गोरखपुर को निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अधीन मामला संख्या टी202505310338050 / 2025 (गुलज़ारी देवी बनाम नगर निगम मौजा महुई सुधरपुर) का निर्णय करने का निर्देश देना है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:-

"(3). इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही, यथासंभव, उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी।"

5. यह आगे तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका लायी गयी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी सदर, जिला गोरखपुर को उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मामले का निर्णय करने का निर्देश देते हुए किया जाता है, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

17 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”